



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23012024-251562
CG-DL-E-23012024-251562

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 311]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 23, 2024/माघ 3, 1945

No. 311]

NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 23, 2024/MAGHA 3, 1945

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 जनवरी, 2024

का.आ. 327(अ).—भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (ii), धारित संख्या का. आ. 2774(अ) दिनांक 9 जुलाई, 2021, का. आ. 2826(अ) दिनांक 14 जुलाई, 2021, का. आ. 4523(अ) दिनांक 29 अक्टूबर, 2021, का. आ. 4525(अ) दिनांक 29 अक्टूबर, 2021, का. आ. 73(अ) दिनांक 6 जनवरी 2022, का. आ. 1769(अ) दिनांक 11 अप्रैल 2022, का. आ. 1977(अ) दिनांक 28 अप्रैल, 2022, का.आ.1044 (अ) दिनांक 3 मार्च 2023, का. आ.1690 (अ) दिनांक 10 अप्रैल 2023 एवं का. आ. 2155 (अ) दिनांक 10 मई, 2023, में प्रकाशित भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग (केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड) की अधिसूचनाओं में, पैराग्राफ 3 को निम्नलिखित के रूप में पढ़ा जाएगा, अर्थात्, -

“यह अधिसूचना निर्धारण वर्ष 2021-2022 से निर्धारण वर्ष 2025-2026 से संगत वित्तीय वर्ष 2020-2021 से वित्तीय वर्ष 2024-2025 के लिए लागू मानी जाएगी।”

और

भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग (केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड) की अधिसूचना धारित संख्या का. आ.1585 (अ) दिनांक 1 अप्रैल, 2023 के पैराग्राफ 3 को निम्नलिखित के रूप में पढ़ा जाएगा, अर्थात्, -

"यह अधिसूचना निर्धारण वर्ष 2021-2022 से निर्धारण वर्ष 2023-2024 से संगत वित्तीय वर्ष 2020-2021 से वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिए लागू मानी जाएगी।"

[अधिसूचना सं. 14/2024 फा. सं. 300196/8/2020-आईटीए-I]

विकास सिंह, निदेशक, (आईटीए-I)

स्पष्टीकरण ज्ञापन

प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव देने से किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ रहा है।